पत्रांक–5 न०वि० निर्वा–3/2017 2611 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
(नगर निकाय)

पटना, दिनांकः– 11/4/17

विषयः– **नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 चुनाव कार्य हेतु नियुक्त प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम की स्वीकृत के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में आयोग द्वारा नियुक्त किए जानेवाले प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करने के सन्दर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा एवं वित्त विभाग की सहमति से सरकार द्वारा विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया हैः–

1. अपने वर्त्तमान पदस्थापन के प्रमण्डल के भीतर प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाने पर उक्त पदाधिकारी को एक चरण के लिए रूपये 4500.00 (चार हजार पाँच सौ रूपये) मात्र एवं प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए रू० 700.00 (सात सौ रूपये) मात्र यात्रा भत्ता अग्रिम अनुमान्य होगा। साथ ही, प्रमण्डल से बाहर प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाने पर एक चरण के लिए रू० 6000.00 (छः हजार रूपये) मात्र एवं प्रत्येक अतिरिक्त चरण के लिए रू० 700.00 (सात सौ रूपये) मात्र यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा।
2. प्रेक्षकों को यात्रा भत्ता अग्रिम, जिस जिले में वे पदस्थापित हैं, उस जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
3. अगर कोई प्रेक्षक राज्य सचिवालय अथवा पटना स्थित उसके संलग्न कार्यालयों/सरकारी उपकमों में पदस्थापित हो तो उनका अग्रिम जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
4. उक्त अग्रिम का भुगतान "मुख्य शीर्ष –2015–निर्वाचन उप मुख्य शीर्ष –00–लघु शीर्ष 109–पंचायतों/स्थानीय निकायों का चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उप

D:\Ranjan, 2017\Daya\Letter.doc

शीर्ष–0001–नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों का चुनाव" के अन्तर्गत विपत्र कोड 48–2015001090001 विषय शीर्ष–0001.13.01 कार्यालय व्यय मद में दिये गये आवंटन से किया जायेगा।

अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक, ~~नगरपालिका~~ प्रशासन
–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।